HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 22/2025

Mahesh Chand S/o Hajarilal

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Tarun Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

17/02/2025

योग्य लोक अभियोजक की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 286/2024, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाईमाधोपुर के अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे अभिलेख पर रखा जावे।

सुना गया।

अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें।

योग्य लोक अभियोजक राज्य/अयाची संख्या–1 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

अयाची संख्या–2 को नोटिस जारी किए जावें।

योग्य अधिवक्ता याची/अभियुक्तगण का निवेदन है कि याचीगण को प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया जा रहा है। पक्षकारान के मध्य कोई भी अनुबंध नहीं हुआ है, न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुआ है। पक्षकारान के मध्य लेन–देन का विवाद रहा है। उनका यह भी निवेदन है कि याची/अभियुक्तगण अनुसंधान में भाग लेने व संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तैयार व तत्पर हैं।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचीगण को दिनांक **07.03.2025** को या इससे पूर्व **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–286/2024, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाईमाधोपुर** के अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण द्वारा अनुसंधान में भाग लिए जाने पर उससे गहनता से आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात् प्रकरण के अनुसंधान की नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट, योग्य लोक अभियोजक के माध्यम से आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली **छह सप्ताह बाद** सूचीबद्ध की जावे तब तक याची/अभियुक्तगण 1. **महेश चंद पुत्र श्री हजारीलाल एवं 2. प्रकाश चंद पुत्र श्री हजारी लाल** को इस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /115